न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 04/2022 **दायर दिनांकः 27.07.2022**

उनवान

1. प्रेम बाई पुत्री मन्नालाल जाति धाकड निवासी डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय तह. अटरू जिला बारां (राज.)
2. सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट

उपस्थिति :—

अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम।

रेस्पोडेन्ट :—

निर्णय दिनाकः 27.01.2025

अपीलान्ट ने यह अपील अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या 58 एवं 139 ग्राम डाबडिया तह. अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2076 वर्ष 2019 के अनुसार प्रार्थिया अपीलान्ट का 1/30 हिस्सा अंकित किया गया है। जमाबन्दी में प्रार्थिया/अपीलान्ट के पिता का नाम मांगीलाल अंकित किया गया है जो गलत है। यह जमाबन्दी नामान्तरण संख्या 510 एवं 511 दिनांक 20.03.2020 के आधार पर लिखा गया है। वादिया तो मांगीलाल की बहिन है। प्रार्थिया अपीलान्ट का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है —

मन्नालाल

मागीलाल (पुत्र) प्रेम बाई (पुत्री) गुलाबचन्द (पुत्र) (अविवाहितं फौत)

दौलतराम राकेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:41 IST
Reason: SelfAttested

सजरा अनुसार गुलाबचन्द के फौत होने पर उसका हिस्सा बहिन प्रेम बाई एवं मांगीलाल के लडको दौलतराम, राकेश भतीजों में बांटा गया। लेकिन इंतकाल में अंकित प्रेम बाई (बहिन) अंकित होते हुए भी उसके पिता का नाम मांगीलाल लिख दिया जबकि मांगीलाल, गुलाबचन्द तो प्रेम बाई के भाई है। यह गलती इन्तकाल को अमल में करते हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा खोले गए इंतकाल 510 एवं 511 दिनांक 20.03.2020 में प्रेम बाई को बहिन दर्शाया है। लेकिन इन्तकाल अमल में लाते समय ध्यान नहीं दिया और प्रेम बाई के पिता मन्नालाल के स्थान पर मांगीलाल लिखा गया है जो सुधार योग्य है क्योंकि इन्तकाल ग्राम पंचायत मूंडला बिसोती ने खोला है। इसलिए ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया है। इंतकाल न. 510 एवं 511 दिनांक 20.03.2020 ग्राम पंचायत मूंडला बिसोती द्वारा खोला गया है। इसलिए अपील को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय का है। प्रार्थिया द्वारा नक़ल जमाबन्दी एवं नकल इन्तकाल लेने पर यह गलती मालूम हुई है। इसलिए अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील उचित न्यायशुल्क पर पेश है ।

अतः माननीय न्यायालय में अपील पेश कर अनुरोध है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल न. 510 एवं 511 दिनांक 20.03.2020 को खारिज करते हुए प्रार्थिया के पिता का नाम मांगीलाल के स्थान पर मन्नालाल करने के आदेश प्रदान करे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेरपोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेट बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण संख्या 510 ग्राम डाबडिया, नकल नामान्तरण संख्या 511 ग्राम डाबडिया पेश किया गया।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि गुलाबचन्द के फौत होने पर उसका हिस्सा बहिन प्रेम बाई एवं मांगीलाल के लडको दौलतराम, राकेश भतीजों में बांटा गया। लेकिन इंतकाल में अंकित प्रेम बाई (बहिन) अंकित होते हुए भी उसके पिता का नाम मांगीलाल लिख दिया जबकि मांगीलाल, गुलाबचन्द तो प्रेम बाई के भाई है। यह गलती इन्तकाल को अमल में करते हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा खोले गए इंतकाल 510 एवं 511 दिनांक 20.03.2020 में प्रेम बाई को बहिन दर्शाया है। लेकिन इन्तकाल अमल में लाते समय ध्यान नहीं दिया और प्रेम बाई के पिता मन्नालाल के स्थान पर मांगीलाल लिखा गया है जो सुधार योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल न. 510 एवं 511 दिनांक 20.03.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:41 IST
Reason: SelfAttested

खारिज करते हुए प्रार्थिया के पिता का नाम मांगीलाल के स्थान पर मन्नालाल करने के आदेश प्रदान करे।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सूनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पेन कार्ड व रसीद जन आधार के अनुसार प्रेम बाई के पिता का नाम मन्नालाल है। प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 510 ग्राम डाबडिया के अनुसार गुलाबचन्द पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/10 जाति धाकड सा. देह खातेदार व नकल नामान्तरण संख्या 511 ग्राम डाबडिया के अनुसार गुलाबचन्द पुत्र धूलीलाल हिस्सा 1/10 जाति धाकड सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि फोती नामान्तरण खोलतें समय प्रेम बाई के पिता का नाम मन्नालाल के स्थान पर मांगीलाल दर्ज हो गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 510 व 511 ग्राम डाबडिया खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरण संख्या 510 दिनांक 02.03.2020 ग्राम डाबडिया व नामान्तरण संख्या 511 दिनांक 02.03.2020 ग्राम डाबडिया पटवार मण्डल मूण्डलाबिसोती खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू को निर्देशित किया जाता है कि पुनः जाँच कर नामान्तरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.12 10:38:41 IST
Reason: SelfAttested